

3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तागील में जारी हुए
02-01-2023	<p>सुखदेव राम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार भोपालगढ)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 403 / 2022</p> <p>अपीलार्थी सुखदेवराम, निवासी ग्राम डोडिया, सोयला तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 31.10.2022 में (1) पिछले वर्ष 2021 में राजस्थान के किसानों को फसल खराबी/अकाल घोषणा का मुआवजा रूपये 13600/- दिया गया था जो मेरे पिताजी को अभी तक नहीं मिले है मेरे पिताजी का आधार संख्या 5043040429 है अतः मुआवजा नहीं मिलने के कारणों, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 444 दिनांक 20.12.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/रीडर/सू.अ./2022/396 दिनांक 28.11.2022 के द्वारा उपलब्ध सूचना दे दी गई जो सूचना नहीं दी जा सकती उसके कारणों से अवगत करवा दिया।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।</p>	